

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ: jkT; Qke] l jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsfsrc@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/13-14-

दिनांक: – / /2015

रमह कुकु ग्र फु;े ओ 'क्रि

1. इच्छुक ठेकेदार गेंहू, जौ, जई की कटाई के पश्चात स्वयं के संसाधन से, तूड़ी बनाने के लिये चकवार रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में फार्म खजान्ची के पास बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवायेगा एवं यह कार्य कटाई के पश्चात् 10 दिनों में पूरा करना होगा तथा तूड़ी बनाने के बाद उसका उस खेत पर कोई हक नहीं होगा और ना ही पशु चराने हेतु ठेकेदार का कोई हक होगा।
2. तूड़ी बनाने के दौरान उक्त फसलों के दानों को फार्म में जमा करवाना होगा।
3. कटाई करने के पश्चात् 10 दिन में तूड़ी बनाकर उठाना होगा अन्यथा खेतों में जुताई कर दी जाएगी।
4. तूड़ी बनाने के दौरान यदि कोई प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
5. यदि कटाई/थ्रेसिंग या तूड़ी बनाते समय उसके या उसके श्रमिकों के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो फार्म उसके लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
6. यदि कोई ठेकेदार तूड़ी बनाने के लिये फार्म का रीपर (तूड़ी बनाने की मशीन) किराये पर लेना चाहता है, तो उसका किराया फार्म को एडवांस में जमा करवाना होगा।
7. यदि कार्य के दौरान फार्म की मशीन में कोई टूट/फूट होती है, तो उसकी मरम्मत का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
8. तूड़ी बनाने का कार्य चक इंचार्ज/फार्म अधीक्षक के निर्देशानुसार ही करना होगा। तूड़ी बनाकर ले जाते समय सम्बन्धित चक इंचार्ज से नियमानुसार गेट पास लेना होगा।
9. उपरोक्त कार्य को शुरू करने से पूर्व रुपये 100/- का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करना होगा।
10. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. बोली/टेण्डर छुटने के तुरन्त बाद या अगले कार्य दिवस में कुल रकम का 25% जमा करवाना होगा। अन्यथा 25% की दर से ब्याज लगेगा एवं बकाया 75% राशि तूड़ी बनाने से पूर्व ठेके के 10 दिन तक जमा करवानी होगी।
12. परिचय-पत्र/I.D. Card तथा पान कार्ड की छायाप्रति जमा करवानी होगी।
13. बाग के अंदर गेंहू की तूड़ी बनाते समय बाग के पौधों को नुकसान से बचाना होगा अन्यथा पौधे के नुकसान का जुर्माना देना होगा।
14. जो व्यक्ति फार्मों की काली सूची में शामिल है वे इस कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे।

i/c/kd%mrIknu%
Nr: cHkkjh fun'kd

नाम: —
 पिता का नाम: —
 गांव व पोस्ट: —
 जिला: —
 फोन नं.: —
 पान न0:—.....